



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27779

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1741 वर्ष 2026 व 1 अन्य संबद्ध वाद

लोकमान सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : गणेश मिश्रा, वरुण मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. मुख्य और सम्बद्ध रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश मिश्रा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री के.के. मिश्रा (एओआर ए/के0083/12) और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को 22.05.2004 को मृतक आश्रित नियमावली के तहत 3200-85-4900 के वेतनमान में मलेरिया निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा। उन्हें 06.06.2014 को 2800/- रुपये के ग्रेड वेतन में प्रथम एसीपी प्रदान की गई थी और 16 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें 4200/- रुपये के ग्रेड वेतन के रूप में द्वितीय एसीपी प्रदान की गई थी। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि 18.06.2025 को अपर निदेशक, मलेरिया एवं वी.बी.डी., उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने दिनांक 18.06.2025 का एक पत्र जारी किया, जिसमें इस तथ्य के संबंध में हुई त्रुटियों को सुधारने की अपेक्षा की गई कि प्रथम एसीपी 2800 के स्थान पर 2400/- रुपये ग्रेड वेतन और द्वितीय एसीपी 4200/- के स्थान पर 2800/- रुपये होंगे चाहिए थी। दिनांक 18.06.2025 का उक्त पत्र सम्बद्ध रिट याचिका में चुनौती का विषय था, जिस पर 27.08.2025 को विचार करते हुए प्रत्यर्थियों से जवाबी हलफनामा मांगा गया था, जिसमें पक्षों के बीच जवाबी और प्रति-जवाबी हलफनामों का आदान-प्रदान किया गया है और उसके बाद 16.01.2026 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा ने याचिकाकर्ता को दिए गए लाभों को वापस लेने का परिणामी आदेश पारित कर दिया।
3. इसे चुनौती देते हुए मुख्य रिट याचिका दायर की गई है और आदेश पारित होने के बाद सम्बद्ध और मुख्य रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष हैं।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा पारित दिनांक 18.06.2025 का आदेश और साथ ही आक्षेपित आदेश दिनांक 16.01.2026 कायम नहीं रखे जा सकते क्योंकि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में हैं, याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया है, पूरी कार्यवाही याचिकाकर्ता की पीठ पीछे एकपक्षीय है और आगे किसी भी तरह की वसूली का निर्देश नहीं दिया जा सकता था, विशेष रूप से तब जब यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला नहीं है।

5. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर कहा है कि हालांकि 18.06.2025 को एक सामान्य आदेश पारित हुआ था लेकिन परिणामी आदेश 16.01.2026 को पारित किए गए। उनके अनुसार, यदि याचिकाकर्ता की यह शिकायत है कि उसे सुना नहीं गया है, तो याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

6. मैंने अदालत में दिए गए तर्कों को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

7. स्पष्ट रूप से, विवाद 2400/- रुपये के स्थान पर 2800/- रुपये का प्रथम एसीपी ग्रेड वेतन और 2800/- रुपये के स्थान पर 4200/- रुपये का द्वितीय एसीपी ग्रेड वेतन प्रदान करने के संबंध में है। राज्य सरकार द्वारा 18.06.2025 को एक सामान्य आदेश पारित किया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि क्या उक्त सरकारी आदेश लागू होते हैं या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद ही किया जाना चाहिए, इस प्रकार, उनके अनुसार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा पारित दिनांक 16.01.2026 के आदेश से पहले याचिकाकर्ता को सुना जाना चाहिए था। भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:-

"3. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, यह विवादित नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में 18.12.1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव से 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को सिविल परिणामों का सामना करना पड़ा है लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताओ का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उसका वेतन कम किए जाने से पहले उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था और आदेश उसकी पीठ पीछे कानून द्वारा ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया था। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। कार्यवही में निष्पक्षता यह मांग करती है कि कोई भी ऐसा आदेश जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी के सिविल परिणामों को भुगतने के रूप में हो, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए और उसे मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि, ऐसा नहीं किया गया था, दिनांक 25.7.1991 का आदेश या ज्ञापन जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित किया गया था, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सकता था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में त्रुटि की। न्यायाधिकरण का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ 18.12.1970 से अपीलकर्ता का मूल वेतन 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये करने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष आक्षेपित दिनांक 25.7.1991 के आदेश या ज्ञापन को निरस्त करते हैं।"

8. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:-

याचिकाकर्ता **13.03.2026** तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेगा और उक्त प्रस्ताव पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा एक तिथि निश्चित की जाएगी और उसके बाद याचिकाकर्ता को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सुनने के उपरांत आदेश पारित किया जाएगा। याचिकाकर्ता के विरुद्ध मांगी गई कोई भी वसूली और पुनः निर्धारण उस संबंध में पारित होने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं।

10. आज दाखिल किए गए प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

9 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"